

दूरभाष 23013718

ए/46901/संलोसेआ/मुप्रअ/कल्याण

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

सं स एवं मुप्रअ का कार्यालय

ई ब्लॉक हटमेंटस, दारा शुकोह रोड

नई दिल्ली - 110011

दिनांक 28 सितम्बर 2020

सेवा में,


संबंधित पर्यवेक्षक

**सं लो से आ द्वारा 04 अक्टूबर 2020 को आयोजित होने वाली
सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा-2020 के लिए सहायक पर्यवेक्षकों की नियुक्ति**

महोदय/महोदया,

निम्नलिखित अधिकारी को दिनांक 04 अक्टूबर 2020 को विषयाधीन परीक्षा के दौरान उनके नाम के सामने दर्शाए गए स्थान पर सहायक पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया जाता है :-

भवदीय,


(एन पी सिंह)

प्रशासनिक अधिकारी (कल्याण)

निरीक्षकों के अनुदेशों के लिए कृपया अगला पृष्ठ देखें।

सं लो से आ द्वारा 04 अक्टूबर 2020 को आयोजित होने वाली
सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा-2020 के लिए सहायक पर्यवेक्षकों की नियुक्ति

1. अधिकारियों से अनुरोध है कि वे समय की पाबंदी का पालन करते हुए ठीक **08.30** बजे केंद्र पहुंचकर पर्यवेक्षक से संपर्क करें। अधिकारियों से यह भी अनुरोध है कि वे पर्यवेक्षक को पूर्व सूचना दिए बिना केंद्र से न जाएं।
2. ड्यूटी के लिए तैनात किए गए अधिकारियों को किसी भी स्थिति में नाम वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. यदि कोई अधिकारी सं लो से आ को समय से/पूर्व सूचना दिए बगैर ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है अथवा केंद्र पर देरी से पहुंचता है अथवा पर्यवेक्षक द्वारा असहयोगी बताया जाता है अथवा अपनी ड्यूटी में लापरवाह पाया जाता है अथवा उसका कार्य-निष्पादन असंतोषजनक बताया जाता है तो उसका नाम पैनल से हटा दिया जाएगा।
4. यदि किसी भी अधिकारी जिसकी सहायक पर्यवेक्षक के रूप में सेवाओं के लिए अनुरोध किया गया है, का कोई आश्रित/रिश्तेदार दिल्ली स्थित केंद्र पर उपर्युक्त परीक्षा दे रहा है तो उसे नियुक्ति स्वीकार न करने का निदेश दिया जाता है। इसी प्रकार किसी भी स्तर पर, नियुक्ति स्वीकार करने के बाद भी यदि अधिकारी को पता चलता है कि उसका कोई आश्रित/रिश्तेदार दिल्ली स्थित केंद्र पर परीक्षा दे रहा है तो उसे ड्यूटी न करने का निदेश दिया जाता है।
5. सभी सहायक पर्यवेक्षकों को निरीक्षण ड्यूटी के लिए इस कार्यालय द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र के साथ आना अनिवार्य है अन्यथा पर्यवेक्षक उन्हें ड्यूटी करने की अनुमति नहीं देंगे।

6. परीक्षा का कार्यक्रम इस प्रकार है :-

संक्षिप्त मीटिंग	-	03 अक्टूबर 2020 (शनिवार)
रिपोर्टिंग समय	-	11 बजे पूर्वाह्न
संक्षिप्त मीटिंग समय	-	11 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे दोपहर
परीक्षा	-	04 अक्टूबर 2020 (रविवार)
रिपोर्टिंग समय	-	08.30 बजे पूर्वाह्न
प्रथम सत्र	-	9.30 बजे पूर्वाह्न से 11.30 बजे पूर्वाह्न
द्वितीय सत्र	-	2.30 बजे अपराह्न से 4.30 बजे अपराह्न
पारिश्रमिक	-	₹ 1800/- (600+1200) (दो दिनों के लिए)

मोबाइल फोन एवं ऐसे अन्य उपकरणों का प्रयोग संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा केंद्रों के परिसर में वर्जित है।

दूरभाष 23013718

ए/46901/संलोसेआ/मुप्रअ/कल्याण

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

सं स एवं मुप्रअ का कार्यालय

ई ब्लॉक हटमेंटस, दारा शुकोह रोड

नई दिल्ली - 110011

दिनांक 28 सितम्बर 2020

सेवा में,


संबंधित पर्यवेक्षक

सं लो से आ द्वारा 04 अक्टूबर 2020 को आयोजित होने वाली
सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा-2020 के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति

महोदय/महोदया,

निम्नलिखित अधिकारी को दिनांक 04 अक्टूबर 2020 को विषयाधीन परीक्षा के दौरान उनके नाम के सामने दर्शाए गए स्थान पर निरीक्षक के रूप में तैनात किया जाता है :-

भवदीय,


(एन पी सिंह)

प्रशासनिक अधिकारी (कल्याण)

निरीक्षकों के अनुदेशों के लिए कृपया अगला पृष्ठ देखें।

सं लो से आ द्वारा 04 अक्टूबर 2020 को आयोजित होने वाली
सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा-2020 के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति

1. अधिकारियों से अनुरोध है कि वे समय की पाबंदी का पालन करते हुए ठीक 08.30 बजे केंद्र पहुंचकर पर्यवेक्षक से संपर्क करें। अधिकारियों से यह भी अनुरोध है कि वे पर्यवेक्षक को पूर्व सूचना दिए बिना केंद्र से न जाएं।
2. ड्यूटी के लिए तैनात किए गए अधिकारियों को किसी भी स्थिति में नाम वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. यदि कोई अधिकारी सं लो से आ को समय से/पूर्व सूचना दिए बगैर ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है अथवा केंद्र पर देरी से पहुंचता है अथवा पर्यवेक्षक द्वारा असहयोगी बताया जाता है अथवा अपनी ड्यूटी में लापरवाह पाया जाता है अथवा उसका कार्य-निष्पादन असंतोषजनक बताया जाता है तो उसका नाम पैनल से हटा दिया जाएगा।
4. यदि किसी भी अधिकारी जिसकी निरीक्षकों के रूप में सेवाओं के लिए अनुरोध किया गया है, का कोई आश्रित/रिश्तेदार दिल्ली स्थित केंद्र पर उपर्युक्त परीक्षा दे रहा है तो उसे नियुक्ति स्वीकार न करने का निदेश दिया जाता है। इसी प्रकार किसी भी स्तर पर, नियुक्ति स्वीकार करने के बाद भी यदि अधिकारी को पता चलता है कि उसका कोई आश्रित/रिश्तेदार दिल्ली स्थित केंद्र पर परीक्षा दे रहा है तो उसे ड्यूटी न करने का निदेश दिया जाता है।
5. सभी पर्यवेक्षकों को निरीक्षण ड्यूटी के लिए इस कार्यालय द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र के साथ आना अनिवार्य है अन्यथा पर्यवेक्षक उन्हें ड्यूटी करने की अनुमति नहीं देंगे।

6. परीक्षा का कार्यक्रम इस प्रकार है :-

संक्षिप्त मीटिंग	-	03 अक्टूबर 2020 (शनिवार)
रिपोर्टिंग समय	-	11 बजे पूर्वाह्न
संक्षिप्त मीटिंग समय	-	11 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे दोपहर
परीक्षा	-	04 अक्टूबर 2020 (रविवार)
रिपोर्टिंग समय	-	08.30 बजे पूर्वाह्न
प्रथम सत्र	-	9.30 बजे पूर्वाह्न से 11.30 बजे पूर्वाह्न
द्वितीय सत्र	-	2.30 बजे अपराह्न से 4.30 बजे अपराह्न

पारिश्रमिक - **₹ 1500/- (500+1000) (दो दिनों के लिए)**

मोबाइल फोन एवं ऐसे अन्य उपकरणों का प्रयोग संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा केंद्रों के परिसर में वर्जित है।